[1][नियम 25 : कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन

(1) जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो वह कारबार के स्थान का सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पंद्रह कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–30** में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(2) जहां नियम 9 के उपनियम (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है, तो समुचित अधिकारी कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्ण होने से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व **प्ररुप जीएसटी आरईजी–30** में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।**]**

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा नियम 25 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

''[A]**[नियम 25 : कतिपय मामलों में, कारबार परिसर का वास्तविक सत्यापन**

जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक सत्यापन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन मे असफल होने के कारण [B][या आधार के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन न किये जाने के कारण**]** अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति, में कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–30** में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।]''

A अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा नियम 25 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

''**नियम 25 : कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन**

जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ **प्ररूप जीएसटी आरईजी–30** में सामान्य पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड की जाएगी।''

B अधिसूचना क्रमांक 62/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)।